न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 49/2023 राजस्व प्रार्थनापत्र

1. मेवा पुत्र श्री देवा गुर्जर आयु वयस्क निवासी– ओडा का वाडिया, कीडीमाल तहसील करेडा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. हिन्दूराम पुत्र श्री देवा गुर्जर आयु वयस्क निवासी– ओडा का वाडिया, कीडीमाल तहसील करेडा जिला भीलवाड़ा (राज0)

—— प्रार्थीगण

बनाम

1. कन्हैया लाल पुत्र श्री केशा गुर्जर आयु वयस्क निवासी– ओडा का बाडिया, कीडीमाल तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. रतन लाल पुत्र श्री केशा गुर्जर आयु वयस्क निवासी– ओडा का बाडिया, कीडीमाल तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)
4. उपपंजीयक महोदय, पंजीयन कार्यालय, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

—— विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा– 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–

1. श्री मुकेश कुमार जैन ——अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री बन्टु सिंह चुण्डावत ——अधिवक्ता वि.सं. 1 व 2
3. पेरोकार सरकार —— उपस्थित

:: आदेश ::

दिनांक– 25/11/2024

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक वादपत्र धारा 88,89,188 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत घौषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिसके साथ एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीगण एंव विपक्षी संख्या 01 एक एंव 02 के परिवार का पारीवारिक सजरा जो कि प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 02 मे उल्लेखित है। सरहद कीडीमाल पटवार हल्का कीडीमाल भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र ज्ञानगढ़ तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) के खाता संख्या 308 मे आराजी नम्बर 1000 रकबा 0.4553 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3533/996 रकबा 0.3794 हैक्टयर, आराजी नम्बर 984 रकबा 1.0117 हैक्टयर, आराजी नम्बर 986 रकबा 0.0506 हैक्टयर, आराजी नम्बर 987 रकबा 0.2529 हैक्टयर, आराजी नम्बर 991 रकबा 0.0126 हैक्टयर, आराजी नम्बर 992 रकबा 0.3035 हैक्टयर, आराजी नम्बर 997 रकबा 0.2529 हैक्टयर, आराजी नम्बर 998 रकबा 0.7335 हैक्टयर, आराजी नम्बर 999 रकबा 0.0885 हैक्टयर कुल किता 10 दस रकबा 3.5409 हैक्टयर भूमि स्थित है। उक्त आराजियात वर्तमान राजस्व रेकार्ड मे विपक्षी संख्या 01 लगायत 02 के नाम पर गलत रूप से अभिलिखित है। प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 01 लगायत 02 के प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 02 मे वर्णित पारीवारिक सजरा इस प्रकार है कि वादग्रस्त आराजियात जो कि गोमा जी को आंवटित भूमि है, गोमा जी के 3 पुत्र धूला, जोरा, भोजा हुए, जिसमे भोजा लाऔलाद फोत हुआ है व धूला जी के एक पुत्र सोला हुआ, सोला के एक पुत्र देवा हुआ जिसके 2 पुत्र मेवा व हिन्दूराम हुए जो प्रार्थीगण है व साथ ही जोरा के कोई जायन्दा पुत्र, पुत्री संतान नही हुई, जोरा जी के पत्नी नाते लाये, जिसके रूपा गेलड़ संतान आयी व रूपा के पत्नी दुर्गा गुर्जर निवासी– धुंवाला (क) की पत्नी देऊ गुर्जर को नाते लाये, जिसके साथ गैलड़ पुत्र हजारी, केशु आये, हजारी लाऔलाद फोत हुआ व केसु के 2 लड़के रतन लाल व कन्हैया लाल विपक्षी संख्या 01 एवं 02 है, इस प्रकार विपक्षी संख्या 01 एवं 02 जो कि जोरा जी के वारीसान नही होकर गेलड़ संतान है। जिनकी गोत्र भी अलग होकर जोरा जी के परिवार व वंशंज से कोई लेना देना नही है व साथ ही जोरा जी के भी किसी को गोद आदि नही लिया गया। जिसका राव की पौथी मे भी इन्द्राज है। प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 03 तीन मे वर्णित आराजियात मे विपक्षी संख्या 01 एक लगायत 02 दो का कभी कोई कब्जा काश्त नही रहा है व न ही है व वादपत्र की चरण संख्या 02 दो मे वर्णित सम्पूर्ण आराजियात मे विपक्षी संख्या 01 एक लगायत 02 दो का हक अधिकार ही है। उक्त आराजियात जो

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

कि गोगा जी जमाने की होकर पुश्तैनी कृषि आराजियात है। प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 03 तीन मे वर्णित आराजियात पर प्रार्थीगण निरन्तर रूप से आमजन व पक्षकारो की जानकारी मे निर्बाध रूप से कब्जा एंव उपयोग उपभोग चला आ रहा है व आज भी प्रार्थीगण काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है।दिनांक 05 पांच जनवरी 2023 दो हजार तैबीस को विपक्षीगण द्वारा प्रार्थीगण को जबरन भूमि से बेदखल करने की कोशिश की व उक्त भूमि मे प्रार्थीगण का नाम दर्ज नही होने से प्रार्थीगण को जबरन बेदखल करने व आराजियात को अन्य को रहन, विक्रय, हस्तांतरण करने की धमकी दी, इस पर प्रार्थीगण द्वारा राजस्व रेकार्ड की नकले प्राप्त की तो पता चला कि विपक्षी संख्या 01 लगायत 02 जो कि जोरा जी के वारीसान एवं वंशज नही होते हुए भी इनके व इनके पूर्वजो द्वारा प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 02 दो मे वर्णित आराजियात को अपने नाम पर दर्ज करा ली, जो गलत है। इस पर प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण को कई बार विपक्षी संख्या 01 लगायत 02 का नाम विलोपित कराने व वादपत्र की चरण संख्या 01 एक मे वर्णित आराजियात प्रार्थीगण के दर्ज करवाने हेतु कहा, लेकिन विपक्षीगण बार बार टालमटोल करते चले आ रहे है व आज दिन तक प्रार्थीगण के नाम पर भूमि दर्ज नही करायी गयी व चक्कर देते चले आ रहे है। दिनांक 02 दो फरवरी 2023 दो हजार तैबीस को प्रार्थीगण द्वारा नाम पर करवाने हेतु कहने पर विपक्षीगण साफ तौर इंकार हो गये व प्रार्थीगण को जबरन बेदखल करने व आराजियात को अन्य को रहन, विक्रय, हस्तांतरण करने की धमकी दी। जबकि विपक्षीगण को ऐसा करने का कोई हक अधिकार नही है। सरहद कीडीमाल पटवार हल्का कीडीमाल भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र ज्ञानगढ़ तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) के खाता संख्या 308 मे आराजी नम्बर 1000 रकबा 0.4553 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3533/996 रकबा 0.3794 हैक्टयर, आराजी नम्बर 984 रकबा 1. 0117 हैक्टयर, आराजी नम्बर 986 रकबा 0.0506 हैक्टयर, आराजी नम्बर 987 रकबा 0.2529 हैक्टयर, आराजी नम्बर 991 रकबा 0.0126 हैक्टयर, आराजी नम्बर 992 रकबा 0.3035 हैक्टयर, आराजी नम्बर 997 रकबा 0.2529 हैक्टयर, आराजी नम्बर 998 रकबा 0.7335 हैक्टयर, आराजी नम्बर 999 रकबा 0. 0885 हैक्टयर कुल किता 10 दस रकबा 3.5409 हैक्टयर मे विपक्षी संख्या 01 एक लगायत 02 का कोई हक अधिकार नही होने विपक्षी संख्या 01 लगायत 02 का नाम विलोपित करा उपरोक्त सम्पूर्ण आराजियात के प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार घौषित होने व अपने नाम पर दर्ज करवाने का अधिकारी है, तदनूसार घौषणात्मक डिक्री बहक प्रार्थीगण विरूद्व विपक्षीगण सादिर फरमायी जाना आवश्यक है। यदि विपक्षीगण प्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजीयात से जबरन शक्ति के बल पर बेदखल कर देगे व विपक्षीगण के नाम पर उक्त आराजियात राजस्व रेकार्ड मे अंकन होने का नाजायज फायदा उठाकर उक्त आंराजीयात को किसी अन्य को रहन, विक्रय, हस्तांतरण/खुर्द बुर्द कर देगा तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी व प्रार्थीगण अपनी आराजियात से वंचित हो जायेगा। जिसकी पूर्ति धनराशि से पूरी की जाना कतई संभव नही होगा। इस कारण से प्रार्थीगण के पक्ष मे एवं विपक्षीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है विपक्षीगण प्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजीयात से जबरन शक्ति के बल पर बेदखल नही करे और नही किसी अन्य से करावे तथा वादीगण के शांति पूर्वक उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा अथवा रूकावट न तो स्वयं पैदा करे और न ही किसी अन्य से करावे। वादीगण प्रार्थीगण का यह प्रथम दृष्टया मामला है ओर सुविधा संतुलन भी वादीगण प्रार्थीगण के पक्ष मे है और यदि ताफैसला वाद विपक्षीगण के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही फरमायी गयी और विपक्षीगण वादी प्रार्थी को वादग्रस्त आराजीयात से बेदखल कर देगा व आराजीयात को किसी अन्य को रहन, विक्रय, हस्तांतरण/ खुर्द बुर्द कर देगा तो वादी प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। जिसकी पूर्ति धनराशि से पूरी की जाना कतई संभव नही होगा। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे है। अंत मे प्रार्थना दर्ज करते हुए प्रार्थनापत्र स्वीकार कर अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया।

इस पर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये गये व विपक्षी संख्या 01 लगायत 02 द्वारा जवाब पेश किया गया, जिसमे मुख्य उजर रेकार्डेड खातेदार होने व प्रार्थीगण द्वारा गलत तौर पर गेलड़ संतान बताने व विपक्षी संख्या 01 एवं 02 भूमि पर काबिज होने का उजर उठाया गया।
प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 01 एवं 02 द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 157/2023 राजस्व वाद कन्हैया लाल गुर्जर व अन्य बनाम हिन्दूराम गुर्जर व अन्य की प्रति व मौका पर्चा की प्रति पेश की गयी। जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने से पूर्व निम्न तीनो बिन्दुओ का विवेचन किया जाना न्याय संगत है:-

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

1– प्रथम दृष्टया मामला

2– सुविधा संतुलन

3– अपूरणीय क्षति

सर्वप्रथम प्रथम दृष्टया मामला– प्रार्थीगण द्वारा विपक्षी संख्या 01 एवं 02 को गैरलड संतान होना बताया गया व जोरा जी लाऔलाद फोत हुआ है, जोरा जी द्वारा किसी को गोद नही लेने का राव की पौथी मे इन्द्राज होना बताया गया व साथ ही कब्जा भी विपक्षी संख्या 01 एवं 02 का नही होने बाबत कथन किया गया व अपना कब्जा होना बताया गया व प्रार्थीगण द्वारा जो प्रकरण संख्या 157/2023 राजस्व वाद कन्हेया लाल व अन्य बनाम हिन्दूराम व अन्य की प्रतिया व मौका पर्चा का अवलोकन करने से कब्जा भी विपक्षी संख्या 01 एवं 02 का सावित नही होकर विपक्षीगण का है। प्रकरण मे हक स्वत्व के बिन्दु पर ही मुख्य विवाद है व राव की पौथी अनुसार जोरा जी के लाऔलाद फोत होने व किसी को गोद नही लिया गया है, जिससे हक स्वत्व का बिन्दू विवादित है। कब्जा विपक्षीगण का प्रमाणित होने से प्रथम दृष्टया विपक्षीगण के पक्ष मे प्रमाणित होता है। उक्त भूमि का अन्तरण आदि होने व विपक्षीगण का बेदखल करने से विपक्षीगण को क्षति हो सकती है। प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला विपक्षीगण के पक्ष मे एंव प्रार्थीगण के विरूद्व प्रमाणित होता है।

सुविधा संतुलन– उक्त भूमि पर विपक्षीगण का कब्जा होना बताया गया है। जिससे सुविधा संतुलन का बिन्दू भी विपक्षीगण के पक्ष मे एंव प्रार्थीगण के विरूद्व प्रमाणित होता है।

अपूरणीय क्षति– चूंकि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन के बिन्दू विपक्षीगण के पक्ष मे प्रमाणित होने से व कब्जा विपक्षीगण का होने व विपक्षीगण को बेदखल करने व आराजियात को खुर्द बुर्द करने पर विपक्षीगण को अपूरणीय क्षति होगी। इस कारण से अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी विपक्षीगण के पक्ष मे एवं प्रार्थीगण के विरूद्व प्रमाणित होता है। अतः प्रकरण मे पक्षकारो के मध्य वाद विवाद व वाद बहुल्यता न बढे , सम्पति को संरक्षित व सुरक्षित रखा जाना न्यायोचित है। अतः विपक्षीगण के पक्ष मे अस्थायी निषेधाज्ञा खारीज किया जाना उचित प्रतित होता है।

:: आदेश ::

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र धारा–212 आर.टि.एक्ट सारहीन होने से खारीज किया जाता है। सरहद कीडीमाल पटवार हल्का कीडीमाल भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र ज्ञानगढ़ तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) के खाता संख्या 308 मे आराजी नम्बर 1000 रकबा 0.4553 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3533/996 रकबा 0.3794 हैक्टयर, आराजी नम्बर 984 रकबा 1.0117 हैक्टयर, आराजी नम्बर 986 रकबा 0.0506 हैक्टयर, आराजी नम्बर 987 रकबा 0.2529 हैक्टयर, आराजी नम्बर 991 रकबा 0.0126 हैक्टयर, आराजी नम्बर 992 रकबा 0.3035 हैक्टयर, आराजी नम्बर 997 रकबा 0.2529 हैक्टयर, आराजी नम्बर 998 रकबा 0.7335 हैक्टयर, आराजी नम्बर 999 रकबा 0.0885 हैक्टयर कुल किता 10 दस रकबा 3.5409 हैक्टयर भूमि के संबध मे दिनांक 10.02.2023 को जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा खारीज की जाती है पत्रावली फैसल शुमार होकर मुल वाद के साथ सलग्न हो।

यह आदेश आज दिनांक 25.11.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)